राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका संख्या-157/2004

मनजीत सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं सतीश

दिनांक-**04.12.2007**

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री दिलीप सिंह बागडोरिया , अधिवक्ता वास्ते

श्री शैलेन्द्र बलवदा, अधिवक्ता,परिवादी- निगरानीकर्ता की ओर से

--

परिवादी-निगरानीकर्ता मनजीत सिंह की ओर से यह निगरानी याचिका अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1, बहरोड़ जिला- अलवर द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या: 222/02 (103/97) में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 06.01.2004 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विपक्षी-अभियुक्त सतीश को धारा 323,325 व 452 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता को इस निगरानी की ग्राहयता पर सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय सामग्री का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से तर्क दिया गया है कि इस मामले में प्रमुख प्रमुख रूप से विपक्षी- अभियुक्त सतीश की भी इस अपराध में लिप्तता के संदर्भ में साक्ष्य आयी है लेकिन परिवादी व आहतगण के बयानों में विरोधाभास को आधार बनाते हुए उसे इस मामले में दोषमुक्त कर दिया गया है।

हमने उनके तर्कों पर मनन किया।

इस मामले में परिवादी मेहर चन्द प्रमुख साक्षी है, जो इस घटना में घायल भी हुआ है लेकिन उसने अपने मुख्य परीक्षण में अपने पुत्र मनजीत सिंह के मुंह पर ईंट की चोट सरजीत उर्फ कालू राम द्वारा कारित करना कथन किया है

तथा स्वयं के भी सरजीत द्वारा ही चोट कारित करना बताया है तथा उसके द्वारा मुख्य परीक्षण में सतीश द्वारा कोई चोट कारित करने के संदर्भ में उसका कोई विशिष्ट कृत्य ही नहीं बताया है। सरजीत उर्फ कालू राम की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध चार्ज शीट ही प्रस्तुत नहीं की गयी। कमला द्वारा स्वयं के सतीश द्वारा लाठी से चोट कारित करना कथन किया गया है लेकिन उसका कोई चिकित्सीय परीक्षण ही नहीं हुआ है तथा कमला के पति मेहर चन्द ने ऐसा कथन नहीं किया है कि सतीश द्वारा कमला के कोई चोट कारित की गयी थी।

अन्वीक्षा न्यायालय द्वारा समस्त साक्ष्य पर विचार कर जो विवादित आदेश पारित किया है, उसमें हमारे मत से कोई विधि विरूद्धता अथवा अनुचितता परीलक्षित नहीं हो रही है।

फलस्वरूप इस निगरानी याचिका में कोई सार नहीं होने के कारण इसे इसी प्रक्रम पर निरस्त किया जाता है।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वे सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तुरन्त भिजवाये।

(न्या0 जितेन्द्र राय गोयल)